दिनांक 31 मई 2017 को बराद सदन शैक्षणिक खंड, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 31 मई 2017 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन सम्मेलन कक्ष में शैक्षणिक परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. टी.बी.सुब्बा, - अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. एस.पी.एस राजपूत - सदस्य
   मैकानिकल इंजीनियरिंग विभाग
   मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान
   भोपाल
3. प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव, - सदस्य
   अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग
   प्रबंधन संस्थान
   निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
4. डॉ. सांतनु दे, - सदस्य
   इतिहास विभाग
   राम कृष्ण विद्या मंदिर
   बेलुर मठ, हावड़ा
5. डॉ. टंकनाथ शर्मा खातिवाड़ा - सदस्य
   अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
   प्रेसीडेंसी कॉलेज, मोतबांग
6. प्रो. आनंद मुखोपाध्याय - सदस्य
   प्राणिविज्ञान विभाग,
   उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
7. डॉ. गणेश जी तिवारी, - सदस्य
   प्राचार्य,
   सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक
8. डॉ. संध्या राई, - सदस्य
   प्राचार्य,
   लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची
9. डॉ. देवाशिश चौधुरी, - सदस्य
   परीक्षा नियंत्रक
10. प्रो. ए.एस.चंदेल - सदस्य
    पुस्तकालयाध्यक्ष
11. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग - सदस्य
    डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ
12. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, - सदस्य
    डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ

13.प्रो. वी.रमा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
14.डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
15.डॉ. नवल के. पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
16.डॉ. नूतन कुमार एस. थिंगुजाम, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
17.डॉ. एस. मणिवन्नन, डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
18.प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान अध्यक्ष, नेपाली विभाग	-	सदस्य
19.प्रो. अभिजीत दत्ता, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
20.प्रो. इमिताज गुलाम अहमद, अध्यक्ष, विधि विभाग	-	सदस्य
21.डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापाली, अध्यक्ष, इतिहास विभाग	-	सदस्य
22.डॉ. धनीराज छेत्री, अध्यक्ष, बॉटनी विभाग	-	सदस्य
23.डॉ. एच.के.तिवारी, अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	-	सदस्य
24.डॉ. मनीष, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग	-	सदस्य
25.डॉ. लक्ष्मण शर्मा, अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग	-	सदस्य
26.डॉ. कोमल सिंघा, आधायक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
27.डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
28.डॉ. स्वाति ए. सचदेवा अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग	-	सदस्य
29.डॉ. कोटरा राइन राम मोहन, अध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग	-	सदस्य
30.डॉ. शिलाजीत गुहा, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग	-	सदस्य
31.डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भौतिकी विभाग	-	सदस्य

32.डॉ. कृष्णेन्दु दत्ता अध्यक्ष, संगीत विभाग	-	सदस्य
33.डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग	-	सदस्य
34.डॉ. टी.एम.एस.सुबर्न राजू, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
35.डॉ. संध्या थापा सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग	-	सदस्य
36.डॉ. कबिता लामा सह प्राध्यापक, नेपाली विभाग	-	सदस्य
37.डॉ. एन. सत्यनारायण, सह प्राध्यापक, बॉटनी विभाग	-	सदस्य
38.श्री पी.के.सिंह, वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
39.श्री टी.के.कौल, कुलसचिव	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्य उनके पूर्वनिर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी।

1. प्रो. कामाख्या प्रसाद, रासायनिकी विभाग, टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर
2. प्रो. राजेश शरण, विकिरण और आणविक जीव विज्ञान इकाई, नेहु, शिलांग
3. डॉ. ए.एन.शंकर, सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

डॉ. एस.के.गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहयता देने के लिए उपस्थित थे।

प्रारम्भ में अध्यक्ष ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने डॉ. टंकनाथ शर्मा खातिवाड़ा का विशेष रूप से स्वागत किया जो पहली बार शैक्षणिक परिषद की बैठक में भाग ले रहे थे। अध्यक्ष ने नए सदस्य डॉ. कबिता लामा, सह प्राध्यापक का भी स्वागत किया। अध्यक्ष ने डॉ. पुष्पा शर्मा और डॉ. एस. महापात्रा, सह प्राध्यापकों द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठकों में योगदान की सराहना की। इसके बाद एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी :

खंड 1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एसी21.1.1: ***दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20 वीं बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति***

दिनांक 16 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 20वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 16 नवंबर 2016 को परिचालित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्यों की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

परिषद ने 16 नवंबर 2016 को सभी सदस्यों को परिचालित करने के अनुसार दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणीक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एसी 21.1.2: ***दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने परिषद की 20 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड 2

सूचनात्मक विषय

एसी 21.2.1: ***यांगयांग में परिसर निर्माण के प्रथम पैकेज के प्रथम चरण की प्रगति***

अध्यक्ष ने सूचित किया कि परिसर के चरण I के पैकेज I का निर्माण जिसमें प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन, एक संकाय भवन, मुख्य प्रवेश द्वार और भवनों के लिए परिधीय सड़कों का निर्माण शामिल है, जिसे दिनांक 9 नवंबर 2016 को मेसर्स एनसीसी लिमिटेड को उद्धृत राशि रु. 106.45 करोड़ के कार्य को कार्यान्वित करने हेतु दिया गया था और 23 नवंबर 2016 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना की अवधि 18 महीने है, अर्थात 10 मई 2018 तक है।

परिषद ने यांगयांग में परिसर निर्माण की प्रगति का उल्लेख किया।

एसी 21.2.2: अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि प्रो. जे.पी. तामांग को वर्ष 2016 के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज (एनएबीएस), चेन्नई की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है।

सूचीबद्ध विषय

एसी 21.2.3: सत्र 2018-19 के लिए एम.एड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनसीटीई का अनुमोदन

परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय ने जुलाई 2015 में एमएड पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए एनसीटीई को आवेदन किया था। हालांकि, विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को एनसीटीई विनियमन 2014 की धारा 7 (1) (बी) के तहत स्वीकार नहीं किया गया था। 2016 में विश्वविद्यालय ने फिर से संबंधित दस्तावेजों के साथ एमएड पाठ्यक्रम के लिए एनसीटीई में आवेदन किया। निरीक्षण दल ने 7 और 8 फरवरी 2017 को विश्वविद्यालय का दौरा किया। निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय द्वारा 30 मार्च 2017 को आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त किया गया था, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन 50 छात्रों प्रवेश के शर्त पर अनुमोदित था। संबंधित दस्तावेज 5 मई 2017 को एनसीटीई-ईआरसी को भेजे गए थे।

एनसीटीई ने अपनी 240वीं बैठक में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 50 (एक बुनियादी इकाई) छात्रों के प्रवेश के साथ दो वर्ष की स्वीकृति प्रदान की। यूजीसी ने पहले ही हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने और शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए पदों को मंजूरी दे दी है।

परिषद ने 2018-19 से दो साल की पढ़ाई शुरू करने के लिए एनसीटीई की मंजूरी का उल्लेख किया।

खंड 3

अनुसमर्थित विषय

शून्य

खंड 4
विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों का पैनल आदि

एसी 21.4.A1: ***बाह्य परीक्षकों का पैनल***

परिषद ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बाहरी परीक्षकों के पैनल को संबंधित विद्यापीठ बोर्डों द्वारा तालिका में उल्लिखित प्रयोजन के अनुसार अनुमोदित किया है।

1. जीवन विज्ञान विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	वनस्पति विज्ञान	एमएससी व्यावहारिक परीक्षा
2.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	एमएससी व्यावहारिक परीक्षा
3.	प्राणिविज्ञान	एमएससी व्यावहारिक परीक्षा
4.	उद्यानिकी	बीएससी और एमएससी व्यावहारिक परीक्षा

2. भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	अंग्रेजी	एमए और एम.फिल/पीएचडी शोध निबंध
2.	चीनी	एमए शोध निबंध
3.	हिंदी	एमए शोध निबंध

3. मानव विज्ञान विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	भूगोल	एम.फिल शोध निबंध

4. सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	इतिहास	पीएचडी शोध प्रबंध
2.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पीएचडी शोध प्रबंध
3.	विधि	एलएलएम शोध निबंध
4.	राजनीति विज्ञान	एमए शोध निबंध
5.	समाजशास्त्र	एमए शोध निबंध
6.	पीसीएस एंड एम	एमए शोध निबंध और मौखिक

ख.पाठ्यविवरण/पाठ्यक्रम आदि से संबन्धित मामले

एसी 21.4.B1: ***पाठ्यविवरण में संशोधन***

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि वर्तमान सेमेस्टर के दौरान सभी पाठ्यक्रम को संशोधित/समीक्षा करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया था। हितधारकों के साथ परामर्श और प्रतिक्रिया के बाद पाठ्यक्रम को कैसे

संशोधित किया जाए, इस संबंध में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सिक्किम विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए कम से कम दो बाहरी विशेषज्ञों के साथ पाठ्य-विवरण संशोधन समितियों का गठन किया गया।

22 मई 2017 को आयोजित सीडीसी की बैठक में सरकारी कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्यों ने 2017-18 से पास और ऑनर्स पाठ्यक्रम लागू करने के विश्वविद्यालय के निर्णय के बारे में मुद्दा उठाया और इसे लागू करने से पहले चर्चा और परामर्श के लिए और समय मांगा। विज्ञान शाखा में प्रैक्टिकल पेपर होने के लिए एक तिहाई पेपर बनाने के लिए आरक्षण पर भी विचार किया गया।

व्यक्त किए गए आरक्षण के मद्देनजर, परिषद ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए मंजूरी दे दी यानी ऑनर्स पाठ्यक्रमों को ऐसे समय तक जारी रखा जाए, जब तक कि कॉलेजों में पास और ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित संक्रमण पर आवश्यक स्पष्टता और सर्वसम्मति नहीं हो ।

परिषद ने यह भी मंजूरी दी कि वर्तमान में उत्तीर्ण की डिग्री प्राप्त करने के लिए कुल 14 पेपरों को पास करने के बजाय एक छात्र को पास की डिग्री हासिल करने के लिए तीन फाउंडेशन पेपरों सहित 12 पेपरों में तीर्ण होने की आवश्यकता होती है।

परिषद ने इस प्रस्ताव को उस समय के लिए लागू कर दिया था जब यूजी पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों के कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अधिकतम 150 छात्रों के लिए कम से कम 3 शिक्षक और विज्ञान विषय में 4 शिक्षक होंगे और एक विषय में प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्र एक अतिरिक्त शिक्षक होंगे।

यूजी स्तर पर ऑनर्स कोर्स की संरचना इस प्रकार है :

विषय/सेमेस्टर	I	II	III	IV	V	VI
संवादशील अंग्रेजी				X		
पर्यावरण आधायन					X	
पूर्वी हिमालय/लिंग अध्ययन/मानवाधिकार प्रशासन/आईपीआर/एनएसएस						X
वैकल्पिक I (ऑनर्स विषय)	P 1 (Th)	P 2 (Th)	P 3 (Pr)	P 4&5 (Th)	P 6&7 P 6 (Pr)	P 8&9 P 9 (Pr)
वैकल्पिक II	P 1 (Th)	P 2 (Th)	P 3 (Pr)			
वैकल्पिक III	P 1 (Th)	P 2 (Th)	P 3 (Pr)			
कुल	300	300	300	300	300	300

टिप्पणी: P का अर्थ है कागज़, Th का अर्थ है थ्योरी, और Pr का अर्थ है विज्ञान विषय के लिए प्रैक्टिकल। कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए सभी पेपर सैद्धांतिक होंगे।

यूजी स्तर पर ऑनर्स कोर्स के लिए विषय संयोजन इस प्रकार है:

क. **बी.एससी ऑनर्स के लिए (13) वैकल्पिक युग्म का वितरण (केवल +2 विज्ञान छात्रों के लिए खुला)**

				ऑनर्स	उपलब्ध

					प्रस्तावित युग्म
ग्रुप A	भौतिकी	गणित	रसायनिकी	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी टी एसजीसी एन एसजीसी सी
ग्रुप B	रसायनिकी	बॉटनी	सूक्ष्म जीव विज्ञान	ग्रुप से कोई भी	पीपीसी
ग्रुप C	भूविज्ञान	भौतिकी	गणित	भूविज्ञान	एसयू
ग्रुप D	कंप्यूटर विज्ञान	गणित	सांख्यिकी	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी आर
ग्रुप E	मनोविज्ञान	गणित	कंप्यूटर विज्ञान	मनोविज्ञान	एसजीसी आर
ग्रुप F	रसायनिकी	गणित	सूक्ष्म जीव विज्ञान	ग्रुप से कोई भी	पीपीसी
ग्रुप G	प्राणिविज्ञान	बॉटनी	रसायनिकी	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी टी एसजीसी एन एसजीसी सी
ग्रुप H	अर्थशास्त्र	गणित	सांख्यिकी	अर्थशास्त्र	* एसजीसी आर

ख. बी.ए. ऑनर्स के लिए (13) वैकल्पिक युग्म का वितरण (किसी भी पृष्ठभूमि से आए छात्रों के लिए खुला)

				ऑनर्स	उपलब्ध प्रस्तावित युग्म
ग्रुप A	समाजशास्त्र	भूगोल	राजनीति विज्ञान	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी बी और पीपीसी को छोड़कर सभी कॉलेज
ग्रुप B	भूगोल	राजनीति विज्ञान	शिक्षा	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी बी और पीपीसी को छोड़कर सभी कॉलेज
ग्रुप C	राजनीति विज्ञान	अर्थशास्त्र	इतिहास	ग्रुप से कोई भी	डीएससी और पीपीसी को छोड़कर सभी कॉलेज
ग्रुप D	शारीरिक शिक्षा	राजनीति विज्ञान	इतिहास	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी टी एसजीसी एन एसजीसी जी
ग्रुप E	पर्यटन	समाजशास्त्र	शिक्षा	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी टी एसजीसी जी
ग्रुप F	जेएमसी	इतिहास	राजनीति विज्ञान	ग्रुप से कोई भी	एसजीसी एन
ग्रुप G	लेप्चा	समाजशास्त्र	राजनीति विज्ञान	ग्रुप से कोई भी	डीएससी और पीपीसी को छोड़कर सभी

					कॉलेज
ग्रुप H	लिम्बु/लिम्बू	समाजशास्त्र	राजनीति विज्ञान	ग्रुप से कोई भी	डीएससी और पीपीसी को छोड़कर सभी कॉलेज
ग्रुप I	नेपाली	अर्थशास्त्र	इतिहास	ग्रुप से कोई भी	डीएससी और पीपीसी को छोड़कर सभी कॉलेज
ग्रुप J	भूटिया	अर्थशास्त्र	इतिहास	ग्रुप से कोई भी	डीएससी और पीपीसी को छोड़कर सभी कॉलेज
ग्रुप K	अंग्रेजी	अर्थशास्त्र	इतिहास	ग्रुप से कोई भी	सभी कॉलेज
ग्रुप L	चीनी	समाजशास्त्र	इतिहास	चीनी	विश्वविद्यालय के विभाग
ग्रुप M	मनोविज्ञान	गणित	कंप्यूटर विज्ञान	मनोविज्ञान	एसजीसी आर *
ग्रुप N	मनोविज्ञान	समाजशास्त्र	जनसंचार	मनोविज्ञान	विश्वविद्यालय के विभाग

विस्तारपूर्वक टिप्पणियाँ :

1. प्रस्तावित संयोजनों को विभिन्न संबद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालय विभागों में पढ़ाए जाने वाले विषयों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है।
2. इन वैकल्पिक विषयों के अलावा, छात्रों को तीन (3) अधिक फाउंडेशन पेपर्स का अध्ययन करना चाहिए:
   क. संचारी अंग्रेजी
   ख. पर्यावरणिक अध्ययन
   ग. ईएचएस/लिंग अध्ययन/लोक प्रशासन/मानव अधिकारी/आईपीआर/एनएसएस

संबंधित अध्ययन बोर्ड और विद्यापीठ बोर्ड द्वारा संबंधित विद्यापीठ बोर्ड/ विभागाध्यक्षों द्वारा निम्न के रूप में अनुमोदित किए जाने के बाद मसौदा पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है:

1. जीवन विज्ञान विद्यापीठ

i) उद्यानिकी में एमएससी और पीएचडी कोर्स वर्क
ii) सूक्ष्म जीव विज्ञान में बीएससी, एमएससी और पीएचडी कोर्स वर्क
iii) वनस्पति विज्ञान में बीएससी, एमएससी और पीएचडी कोर्स वर्क
iv) प्राणिविज्ञान में बीएससी, एमएससी और पीएचडी कोर्स वर्क
v) फार्मेसी में बी.फार्मा, एम.फार्म और पीएचडी कोर्स वर्क

2. भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ

i) भूटिया में बीए
ii) चीनी में बीए और एमए

iii) अंग्रेजी में बीए, एमए और एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क

iv) हिन्दी में एमए

v) लेप्चा में बीए

vi) नेपाली में एमए और एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क

3. व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ

i) बी.कॉम .

ii) शिक्षा में बीए और एमए

iii) प्रबंधन में एमबीए और पीएचडी

iv) पर्यटन में बीए

v) संगीत में बीपीए और एमपीए

vi) पत्रकारिता और जनसंचार में बीए; जनसंचार में एमए और एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क

vii) शारीरिक शिक्षा में बीए

viii) निम्नलिखित विषयों के बी.वॉक पाठ्य-विवरण

क) सॉफ्टवेर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी

ख) पर्यटन और सेवा उद्योग

ग) खुदरा प्रबंधन

घ) फार्मास्युटिकल रसायनिकी

4. मानव विज्ञान विद्यापीठ

i) मनोविज्ञान में बीएससी, एमएससी और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

ii) भूगोल में बीए, एमए/एमएससी और एमफिल/पीएचडी

iii) मानवशास्त्र में एमए/एमएससी और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

iv) स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पर्यावरणिक अध्ययन एवं पूर्वी हिमालय

5. भौतिक विज्ञान विद्यापीठ

i) रसायनिकी में बीएससी, एमएससी और एमफिल/पीएचडी

ii) कंप्यूटर अनुप्रयोग में एमसीए और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

iii) भूविज्ञान में बीएससी और एमएससी

iv) गणित में बीएससी, एमएससी और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

v) भौतिकी में बीएससी, एमएससी और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

vi) सांख्यिकी बी. सांख्यिकी

6. सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

i) शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन में एमए और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

ii) इतिहास में बीए, एमए और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

iii) अर्थशास्त्र में बीए

iv) अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

v) समाजशास्त्र में बीए, एमए और एमफिल/पीएचडी

vi) विधि में बीए-एलएलबी (ऑनर्स), एलएलएम और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

vii) राजनीति विज्ञान में बीए, एमए और एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क

viii) स्नातक सामान्य फाउंडेशन पाठ्यक्रमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार, मानवाधिकार, लिंग अध्ययन और लोक प्रशासन

परिषद ने ऊपर दिए गए संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दी और संशोधित पाठ्यक्रम को समान रूप से प्रारूपित और संहिताबद्ध करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया। अध्यक्ष ने विभागाध्यक्ष को सूचित किया कि पाठ्यक्रम में दी गई पठन सूची को अद्यतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने विभागों को यह भी सलाह दी कि वे या तो अकेले या अन्य विभागों के साथ मिलकर छात्रों के लिए ऐड-ऑन पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव रखें ताकि वे अपने बेहतर पाठ्यक्रम के लिए उन पाठ्यक्रमों में भाग ले सकें।

परिषद ने सलाह दी कि यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को प्रथम और द्वितीय वर्ष के बाद बी.वॉक से बाहर निकलने पर डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के अधिकार जारी करने के लिए जाँच की जा सकती है।

एसी 21.4.B2: ***चीनी और अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत***

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने एक सेमेस्टर की अवधि के लिए अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी । भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ द्वारा परिषद की अगली बैठक में विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएँ । संकाय में चीनी पाठ्यक्रम को तब तक स्थगित किया जाएँ जब तक संकाय की स्थिति में सुधार नहीं होता है।

एसी 21.4.B3: ***चीनी विभाग की एक पीएचडी सीट के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाना चाहिए।***

परिषद ने निर्णय लिया कि प्रवेश कार्यसमिति भारत सरकार/यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर आरक्षण का निर्णय ले सकती है।

एसी 21.4.B4*: एमबीए पाठ्यक्रम का शैक्षणिक कैलंडर*

विभागाध्यक्ष, प्रबंधन ने बताया कि विश्वविद्यालय के एमबीए छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के पूरा होने के बाद छह सप्ताह की इंटर्नशिप लेना पड़ता है और अन्य विभागों की तुलना में एमबीए प्रोग्राम में विषयों की संख्या भी अधिक है। अंत सेमेस्टर परीक्षा की तारीखों को विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर से थोड़ा विचलन करने की आवश्यकता है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने विभागाध्यक्ष, प्रबंधन विभाग को एमबीए छात्रों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तावित करने के लिए कहा।

एसी 21.4.B5: ***क्रेडिट आधारित वैकल्पिक विषय के रूप में एनएसएस की शुरुआत***

परिषद ने विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में एनएसएस को शुरू करने के लिए 22 मई 2017 को आयोजित महविद्यालय विकास परिषद की 7 वीं बैठक में की गयी सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

परिषद ने कुलपति को युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार टेम्पलेट पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए सुझाव देने के लिए संकाय सदस्यों, बाहर से और राज्य सरकार के महाविद्यालयों से विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम डिजाइन समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया।

एसी 21.4.B6: ***राजनीति विज्ञान विभाग में मानव अधिकारों पर एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत***

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि चार पेपरों के लिए पाठ्यक्रम, प्रत्येक चार इकाइयों को मंजूरी के लिए शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में तैयार करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश दिसंबर के महीने में हो सकता है और सम सेमेस्टर में कक्षाएं भी शुरू की जाएँ, क्योंकि विभाग के पास विषम सेमेस्टर में एम.फिल /पीएचडी के कोर्स वर्क का अतिरिक्त शिक्षण भार होगा।

ग. संबद्धता से संबन्धित विषय

एसी 21.4.C1: ***महाविद्यालयों को अस्थायी संबद्धता का विस्तार प्रदान***

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए निम्नलिखित आठ कॉलेजों के अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए महविद्यालय विकास परिषद की सिफारिश को मंजूरी दे दी।

i) हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार, रंगपो
ii) डंबर सिंह कॉलेज, सामदुर, गंगटोक
iii) नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरांग, नामची
iv) सरकारी महाविद्यालय रिनोक, रिनोक
v) सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग
vi) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग
vii) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक, गंगटोक
viii) सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग

परिषद ने पैलेटाइन कॉलेज, पाक्योंग की संबद्धता के विस्तार के मुद्दे विस्तार से विचार-विमर्श किया। स्थिति को देखते हुए कि 2017-18 शैक्षणिक सत्र के लिए कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए यह उचित और कानूनी रूप से प्रवेश को बीच में ही रोकना सही नहीं होगा। हालांकि, पैलेटाइन कॉलेज को अस्थायी संबद्धता के गैर-विस्तार के बारे में सूचित किया जाए और शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में किसी भी छात्र को स्वीकार नहीं करने के लिए आश्वस्त किया जाएगा। कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2018-19 से असम्बद्ध होगा। कॉलेज यह भी सुनिश्चित करें कि छात्रों ने पहले ही अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

एसी 21.4.C2: ***महाविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए विषय संबद्धता शुल्क***

विचार-विमर्श के बाद महाविद्यालय विकास परिषद की सिफारिशों के आधार पर शैक्षणिक परिषद ने एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित विषय संबद्धता शुल्कों को कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन हेतु अध्यादेश ओडी-1 में प्रासंगिक स्थान में शामिल करने के लिए सिफारिश की और ।

1. एम.फिल - रु. 6,000 प्रति विषय
2. पीएचडी - रु. 8,000 प्रति विषय

एसी 21.4.C3: ***सिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्धता की मांग करनेवाले महाविद्यालयों के लिए सावधि जमा***

महविद्यालय विकास परिषद की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के बाद शैक्षणिक परिषद ने अध्यादेश ओडी-2 की धारा 20 में टेबल के नीचे निम्नलिखित को प्रविष्ट करने की सिफ़ारिश की है।

"ऊपर क्रम सं 15 और 16 में उल्लेखित के अनुसार सावधि जमा राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों पर लागू नहीं होगी। यह विधिवत गठित और पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित कॉलेजों पर लागू होगा "

घ. संविधियाँ/अध्यादेश/विनियम से संबन्धित विषय

एसी 21.4.D1: *शोध परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देश में संशोधन*

विचार विमर्श के बाद परिषद ने **परिशिष्ट-क** में दिए गए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों के संशोधनों को कार्यकारिणी के अनुमोदन हेतु सिफारिश की।

एसी 21.4.D2: *प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विनियम*

दिनांक 11 नवंबर 2016 को शैक्षणिक परिषद की 20 वीं बैठक में विश्वविद्यालय में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विनियमों का मसौदा तैयार करने की सलाह दी। तदनुसार, प्रो. जे.पी. तमांग (अध्यक्ष), प्रो. वी. रमा देवी, प्रो. प्रताप चन्द्र प्रधान, डॉ. के.आर. राममोहन, डॉ. सुदर्शन तामांग, डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री (सदस्य-सचिव) को लेकर विनियमों का मसौदा तैयार करने के एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने मसौदा विनियम प्रस्तुत किया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि मसौदा नियमन में संशोधन की आवश्यकता है और परिषद की अगली बैठक में मसौदा विनियमन के अंतिम संस्करण को प्रस्तुत करने की सलाह दी।

एसी 21.4.D3: *विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/विनियमों में संशोधन*

यूजीसी/एमएचआरडी/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और विनियमों के साथ हमारे अध्यादेशों के विभिन्न खंडों को लाने के लिए निम्नलिखित अध्यादेशों/विनियमों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं:

ओसी-3 छात्रों द्वारा देय शुल्कों पर
ओसी-4 कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य स्नातक, वोकेशनल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर
ओसी-5 कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर
ओसी-6 दर्शन निष्णात पाठ्यक्रम पर
ओसी-7 विद्या वाचस्पति पाठ्यक्रम पर
आरई-1 परीक्षा के संचालन पर विनियम

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अध्यादेशों/विनियमों में उपर्युक्त संशोधनों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की **(परिशिष्ट-ख)।**

सूचीबद्ध विषय

एसी 21.4.D4: ***अधिसंख्य सीट के लिए पीएचडी प्रवेश पर नियम***

परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 3 जून 2016 को आयोजित परिषद की 19 वीं बैठक में विश्वविद्यालय के संबद्ध शिक्षकों/अध्येताओं/कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रति विभाग एक अधिसंख्य सीट शुरू करने की मंजूरी दी गई और जिसे संबन्धित विभाग के प्रोफेसर या वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा मार्गदर्शन किया जाना था और वे छुट्टी की शर्तों (गैर-लैब आधारित के लिए 6 महीने और प्रयोगशाला-आधारित विभागों के लिए 2 साल) और कोर्स वर्क को पूरा करेंगे।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने अधिसंख्य सीट **(परिशिष्ट-ग)** के लिए पीएचडी के प्रवेश पर नियमों को कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की है।

7. विविध विषय

एसी 21.4.E1: ***स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को पीएचडी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की अनुमति प्रदान***

परिषद ने उल्लेख किया कि यूजीसी ने प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के लिए एम.फिल/ पीएचडी. पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित कोटा निर्धारित किया है:

एम.फिल : 3, 2, और 1 क्रमश
पीएचडी : 8, 6 और 4 क्रमश

परिषद ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दो स्नातकोत्तर महाविद्यालयों अर्थात हिमालयन फार्मेसी संस्थान और हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओसी-6 और ओसी-7 के तहत एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी है।

परिषद ने यह भी कहा कि ये महाविद्यालय उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से संबद्ध होते समय पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे थे। विश्वविद्यालय एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम करने की छह करने वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की आकांक्षा को समायोजित करने की स्थिति में नहीं है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अध्यादेश ओसी-7 की धारा -3 में संशोधन करके स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के पात्र संकाय सदस्यों को पर्यवेक्षकों और संयुक्त पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

परिषद ने अध्यादेश ओसी -7 की धारा -3 में '/स्नातकोत्तर महाविद्यालय' को शामिल करते हुए, जहां 'विश्वविद्यालय' का उल्लेख है, संशोधन की सिफारिश की है।

एसी 21.4.E2: ***मानद संकाय पद***

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से संकाय सदस्यों को विशेषज्ञता के आधार पर मानद संकाय सदस्य के रूप में संक्षिप्त अवधि के लिए पढ़ाने के लिए आमंत्रित करने और ऐसे संकाय सदस्यों की प्रसिद्धि को संबन्धित विभाग में लाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

परिषद ने कुलपति को इस तरह के पदों को कैसे प्रबंधित किया जाएगा और उन्हें मानदेय की अनुमति दी जाए, इसका विवरण देखने के लिए एक समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया।

एसी 21.4.E3: ***चयनित विभागों की शैक्षणिक समीक्षा***

शैक्षणिक परिषद को सूचित किया गया था कि स्थिति में सुधार के लिए विभागों द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के बावजूद भी पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित विभागों में उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों कि संख्या में काफ कम हैं। इनमें से कुछ विभागों में संकाय सदस्यों की कम संख्या वास्तव में एक कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि समान संकाय पदों वाले अन्य विभाग अच्छा कर रहे हैं। इसलिए, उनकी व्यवहार्यता और भविष्य में संभावित पुनर्गठन के आकलन के लिए एक गहन शैक्षणिक समीक्षा की आवश्यकता है:

1. चीनी
2. कंप्यूटर अनुप्रयोग
3. हिंदी
4. संगीत
5. शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद को उनकी स्थिति, पाठ्यक्रम, संकाय, आदि की समीक्षा के लिए सिफारिश की और इन विभागों के पुन: निर्धारण/पुनर्गठन के लिए उपाय सुझाए। परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय समीक्षा के संचालन के लिए एक उपयुक्त समिति का गठन करता है।

एसी 21.4.E4: ***चीनी में विषय विशिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का अभाव***

दिनांक 16 मई 2017 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ की 6वीब बैठक में चीनी विभाग के संकाय सदस्यों को सलाह दी कि चरण 1से चरण 2 में सीएएस के तहत पदोन्नति के लिए यूजीसी द्वारा सुझाए गए के अनुसार 2-3 सप्ताह की अवधि के लिए अंतर्विषयक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अथवा शोध प्रविधि पाठ्यक्रम में भाग लें। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए चरण 2 से चरण 3 तक पदोन्नति के लिए भी एक सुझाव दिया गया था।

परिषद ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सलाह दी कि विश्वविद्यालय इस संबंध में यूजीसी या अकादमिक स्टाफ कॉलेजों से परामर्श कर सकता है।

एसी 21.4.E5: ***शोध प्रस्तावों की नैतिक मंजूरी***

दिनांक 20 मई 2017 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 7वीं बैठक में यह देखा गया है कि यूजीसी के नियम के अनुसार विश्वविद्यालय की नैतिक समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिए जाने पर कोई भी शोध डिग्री (एम.फिल / पीएचडी) अमान्य होगी यह सुझाव दिया कि अलग-अलग नैतिक समितियों

का गठन उन विषयों के विभिन्न समूहों के लिए किया जा सकता है जो शीघ्रता से मंजूरी और अनुमोदन के लिए एक-दूसरे से निकटता से संबंधित हैं।

परिषद को बताया गया कि विश्वविद्यालय में एक संस्थागत नैतिक समिति और पशु नैतिक समिति है। ये समितियां तब बैठक करती हैं जब किसी मामले को संदर्भित किया जा रहा हो। इसे देखते हुए, परिषद ने चाहा कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यापीठ के लिए अलग-अलग नैतिक समिति के गठन के बजाय के लिए संस्थागत नैतिक समिति और पशु नैतिक समिति की सेवाओं का उपयोग किया जाएँ।

खंड 5

प्राधिकरणों/समितियों का कार्यवृत्त

एसी 21.5.1: दिनांक 22 मई 2017 को आयोजित महविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.2: दिनांक 19 मई 2017 को आयोजित जीव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.3: दिनांक 16 मई 2017 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.4: दिनांक 22 मई 2017 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.5: दिनांक 20 मई 2017 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.6: दिनांक 19 मई 2017 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.7: दिनांक 22 मई 2017 को आयोजित सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 21.5.8: दिनांक 7 अप्रैल 2017 को आयोजित डीन समिति की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष